निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 41/2022 (रसद अपील)

श्रवण लाल पुत्र श्री आनन्दी लाल निवासी मकान नं॰ 27, डी ब्लाक, नेहरू नगर, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान संख्या 311 का प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 29.01.2018 एवं आदेश दिनांक 30.01.2018 से निरस्त कर धरोहर राशि जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री विष्णु कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.03.2023

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्रवण लाल की उचित मूल्य दुकान संख्या 311, डी ब्लॉक नेहरू नगर, जयपुर का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्णय दिनांक 29.01.2018 एवं आदेश दिनांक 30.01.2018 से निरस्त कर धरोहर राशि जब्त सरकार करने के आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति किये जाने की दिनांक से वर्ष 2016 तक अपीलार्थी ने उचित मूल्य की दुकान नियमानुसार राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित करता रहा है। वर्ष 2016 में अपीलार्थी के दुकान मालिक ने अपीलार्थी से दुकान खाली करवाली जिसकी सूचना अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी प्रथम को सूचित कर दिया। जिस पर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान को अन्य दुकान के साथ अटैच कर दी गई थी। अपीलार्थी को कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र कमांक/रसद/एफपीएस/2017/664 दिनांक 26.07.2017

जिला कलक्टर
जयपुर

को अपीलार्थी को सूचना दिये जाने पर अपीलार्थी के केवल मात्र हस्ताक्षर करवाये गये जिसमें अपीलार्थी ने पत्र प्राप्त करना मात्र अंकित किया और अपने हस्ताक्षर किये। उक्त पत्र पर अन्य इबारत अपीलार्थी ने लिख कर नहीं दी ना ही अपीलार्थी ने अपनी दुकान निरस्त कराने बाबत किसी प्रकार का कोई लेख लिख कर दिया। इसके बावजूद बिना अपीलार्थी को सूचित किये दिनांक 29.01.2018 को अपीलार्थी की झूंठी उपस्थिति दर्शायी गई। जबकि अपीलार्थी दिनांक 29.01.2018 व दिनांक 30.01.2018 को रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी प्रथम के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। बावजूद इसके मनमाना व गैर कानूनी निर्णय पारित कर अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान की अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 03.08.2022 को सम्पूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 04.08.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी की दुकान निर्णय दिनांक 29.01.2018 एवं आदेश दिनांक 30.01.2018 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट द्वारा निरस्त कर दी गई । जिसकी नकल प्राप्त करने के पश्चात अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जारही है। अपीलार्थी की उचित मूल्य की विज्ञप्ति को निरस्त करने के कारण अपीलार्थी के परिवार का पालन पोषण करने का एक मात्र स्त्रोत उचित मूल्य की दुकान थी जो रेस्पोडेन्ट द्वारा निरस्त कर दी गई जिसके कारण अपीलार्थी बेरोजगार हो गया व उसके परिवार व अपीलार्थी के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। अपीलार्थी के विरूद्व उचित मूल्य की दुकान संचालन के दौरान किसी भी व्यक्ति या परिवार की कोई शिकायत कभी नहीं रही जो माल अपीलार्थी को सरकार द्वारा दिया गया उसका पूरा वितरण किया गया व हर राशन कार्ड व परिवार को सामान राशन का वितरण किया गया किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं होने के बावजूद भी अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान को निरस्त कर दिया गया जो कि गैर कानूनी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2022 व आदेश दिनांक 30.01.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी डीलर को अवकाश संबंधी प्रावधान नियमों में नहीं होने के संबंध में सूचना के अवगत कराते हुये दुकान संचालन हेतु निर्देशित करने तथा कार्यालय द्वारा बार बार नोटिस दिये जाने के पश्चात डीलर द्वारा राशन सामग्री का उठाव एवं वितरण नहीं किया गया जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन किया है। इसलिए अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है । जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. प्रथम, अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.01.2018 एवं आदेश दिनांक 0.01.2018 के विरूद्व लगभग साढे चार वर्ष पश्चात दिनांक 22.08.2022 को बिना मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं बिना युक्तियुक्ति विलम्ब का कारण बताये यह अपील पेश की गई है। द्वितीय, अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा अपीलार्थी को दुकान संचालन बाबत लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 31.07.2017 तक प्रस्तुत करने बाबत पत्र कमांक रसद/ एफपीएस / 2017/664 दिनाक 26.07.2017 जारी कर सूचित किया गया था। जिसकी पुश्त पर अपीलार्थी डीलर द्वारा "पत्र प्राप्त किया मेरी दुकान निरस्त करने की कृपा करे " का नोट अंकित किया जाकर अपीलार्थी के हस्ताक्षर है। अपीलार्थी नियत दिनांक 31.07.2017 को जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुआ। इसलिए जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र. निरस्त करते हुये प्रतिभूति राशि जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसमे हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज कीं जाती है।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक **09.03.2023** को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर